कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

हाइवे पर पिकअप लूट का फरार आरोपी गिरफतार

जयपुर 31 अगस्त। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि चोरी एवं लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए समस्त थानाधिकारियों को निर्देश दिये जिस पर थाना शाहजहांपुर ने 31 अगस्त,2017 को डा0 श्री राजेन्द्र खोथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाडी व श्री परमाल सिह वृत्ताधिकारी बहरोड के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा हाइवे पर पिकअप लूट का फरार आरोपी अनिल कुमार पुत्र ईश्वर सिह जाति जाट उम्र 31 साल नि0 सिसरखास थाना महम जिला रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि **आरोपी पर हरियाणा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 2 अभियोग दर्ज है जिसमें बलात्कार व अपहरण तथा एक्सीडेण्ट का अभियोग दर्ज है।**

राही/सन्तरा/631/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट**www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

ऐसिड से जलाकर हत्या करने का राजपाश

जयपुर 31 अगस्त। सिरोही के पुलिस थाना रेवदर ने कड़ी मेहनत व आसुचना संकलन कर ऐसिड से जलाकर हत्या का राजपाश करते हुए आज अभियुक्त देवाराम पुत्र जोराराम व रमेश कुमार पुत्र खुमाजी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक सिरोही श्री ओमप्रकाश ने आज जानकारी देते हुए बताया कि 24 अगस्त,2017 को पुलिस थाना रेवदर में प्रार्थी भेराराम ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे भाई प्रभुराम को मुल्जिमों ने ऐसिड डालकर जला दिया है जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त रिपोर्ट पर रेवदर पुलिस ने थाना पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया गया।

श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए वृताधिकारी रेवदर श्री देवाराम के निकट सुपरवीजन में आनन्द कुमार थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान में गति लायी गयी।

उन्होंने बताया कि चुंकि घटना दो महिने पुरानी होने से अनुसंधान में काफी दिक्कत आयी। तथापि कड़ी मेहनत व आसुचना संकलन के कारण प्रकरण हाजा की हत्या का राजपाश करते हुयें आज अभियुक्त देवाराम पुत्र जोराराम मेगवाल निवासी सनवाडा थाना अनादरा व अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र खुमाजी जाति मेगवाल निवासी रेवदर को दस्तयाब कर वैज्ञानिक तरीके से तथा कड़ाई से पुछताछ करने से अभियुक्तो ने सच्चाई उगलते हुये बताया कि दिनांक 6 जुलाई,2017 को दिन में मृतक प्रभुराम को देवाराम ने शराब लाने के लिये 500/- दिये थे जिस पर प्रभुराम ने शराब नहीं लाकर 500/- की शराब स्वयं पीकर चला गया था जिस पर देवराम गुस्सा हो गया व अभियुक्त रमेश कुमार को साथ लेकर प्रभुराम को ढुंढकर पकड लिया व मीठन रोड पर शराब ठेके के पीछे खेत में ले जाकर अपनी ही मोटर साईकिल से पेट्रोल निकालकर दौनों अभियुक्तो ने मृतक के शरीर पर पेट्रोल छिडककर आग लगाकर दौनों अभियुक्त मौके से फरार हो गये। आज दौनों अभियुक्तो को जुर्म स्वीकार करने पर गिरफतार किया गया है।

राही/सन्तरा/632/2017

नोटः- उक्त प्रेस नोट**www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।